

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 1 सितम्बर, 2026

संख्या वि०स०—विधायन—विधेयक/1-23/2026.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक, संख्यांक 15) जो आज दिनांक 01 सितम्बर, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि०प्र० विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।

2026 का विधेयक संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

2. धारा 3 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 की धारा 3 में, “सात” शब्द के स्थान पर “दस” शब्द रखा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 समस्त पात्र व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सात हजार रुपए के मूल्य की युद्ध जागीर प्रदान करने का उपबन्ध करती है। कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण, समस्त पात्र व्यक्तियों के लिए युद्ध जागीर के मूल्य को सात हजार रुपए से बढ़ाकर दस हजार रुपए वार्षिक किया जाना आवश्यक समझा गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 में उपर्युक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इस प्रकार पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:

तारीख: 2026

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH WAR AWARDS (AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.

Bill No. 15 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH WAR AWARDS (AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 (Act No. 9 of 1972).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh War Awards (Amendment) Act, 2026.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972, for the words “seven thousand rupees”, the words “ten thousand rupees” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 (Act No. 9 of 1972) provides for the grant of war jagirs of the value of Seven thousand rupees per annum to all the eligible persons. Due to sharp increase in the prices, it has been felt necessary to enhance the value of war jagirs from seven thousand rupees to ten thousand rupees annually for all the eligible persons. In view of the above, it has been decided to make suitable amendments in section 3 of the Act *ibid*. This has necessitated amendment in the Act, *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

COL. (DR.) DHANI RAM SHANDIL,
Minister-in-Charge.

SHIMLA

THE 2026.
